

4

परिशिष्ट-दो
प्रपत्र-2 (क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली-2013 के
नियम-17(क) को देखें:

ई-मेल : deo.hardwar.dir@gmail.com

दूरभाष : 01334-239158
फैक्स : 01334-239158

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।

पत्रांक : मान्यता (बे0)/आर0टी0ई0 / 4660-64 /2017-18 दिनांक 13 अक्टूबर 2017


सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक
डिवाइन लाइट स्कूल जगजीतपुर जमालपुर रोड़ कनखल
विकासखण्ड बहादुराबाद
जिला हरिद्वार।

विषय : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली-2013 के नियम-17(क)
के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का
प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वघोषणा-पत्र दिनांक 31-05-2017 के क्रम
में आपके विद्यालय डिवाइन लाइट स्कूल जगजीतपुर जमालपुर रोड़ कनखल विकासखण्ड बहादुराबाद जिला
हरिद्वार को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को
पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद हरिद्वार में आपके विद्यालय को मान्यता
कोड/पंजीकरण संख्या J 774 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का
उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम-18 के अनुसार
विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,



डा0(रूपेन्द्र दत्त शर्मा)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार


पृ0सं0 : मान्यता (बे0)/आर0टी0ई0 / /2017-18 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
- 3- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, हरिद्वार।
- 4- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड जनपद हरिद्वार।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार।


Principal
Divine Light School
Jagjeetpur, Hardwar


President
Divine Light School
Jagjeetpur